Discharge of dangerous polluting agents into agricultural land and water bodies, particularly in Butibori in Nagpur district

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा (महाराष्ट्र): डिप्टी चेयरमैन सर, मैं किसानों के हित, कृषि भूमि, भूजल, पशु व मानव जीवन, फसलों तथा वन एवं पर्यावरण के लिए जहरीले रासायनिक पदार्थो के कारण उत्पन्न गंभीर खतरे की ओर इस सदन का तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसे केवल एक राज्य के क्षेत्र विशेष की समस्या न समझा जाए, क्योंकि देश के हर हिस्से में यह समस्या दिन-ब-दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है।

सर, महाराष्ट्र में नागपुर जिले में बूटीबोरी प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। यहां के कुछ उद्योगों द्वारा एसिड तथा अन्य जहरीले रासायनिक पदार्थ चोरनाला नाम से प्रसिद्ध नाले में प्रवाहित किए जाने से वाठोड़ा तथा आसपास के गांवो के सैकड़ों किसानों की भूमि बंजर होने, पीने का पानी जहरीला होने, मिट्टी जहरीली होने, वन्य प्राणियों मानव जीवन तथा घने जंगलो में पेड़ों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है । इस संबंध में तमाम सरकारी विभागों में किसान लिखित रूप से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है । मैं इस संबंध में कुछ सवालों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । देश में उद्योगों द्वारा बहाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों से काफी भूमि बंजर हुई है, सरकार इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध कराए । उद्योगों द्वारा फैलाए जाने वाले रासायनिक प्रदूषण से अब तक काफी मौत हुई है तथा कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं । सरकार कोई ऐसी प्रणाली तैयार करे, जो इस बात पर निगाह रखे कि उद्योग नदी-नालों में जहरीला । रासायनिक कचरा प्रवाहित न करें । इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई जरूरी है । अब तक कितने उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? सरकार को उद्योगों द्वारा नदी-नालों में जहरीले रासायनिक पदार्थ छोड़े जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उद्योगों के जहरीले रसायन से पीड़ित लोगों के लिए तथा जो फसलें नष्ट हुई है, उनके लिए मुआवजे का क्या प्रावधान किया गया है? ऐसे मामलों में संबंधित विभाग के अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए । नागपुर जिले में बूटीबोरी के आसपास के प्रभावित गांवों को उद्योगों के जहरीले रसायन से बचाने के लिए सरकार तुरंत कदम उठाए । औद्योगिक इकाइयों को रासायनिक जहर तथा प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए मौजूदा कानूनों को और कठोर बनाने पर सरकार विचार करे ।

सर, विदर्भ में ही चंद्रपुर जिला कोयला माइन्स, बिजली घर, सीमेंट, कागज के उत्पादन के कारण प्रदूषण के मामले में पूरे देश में नंबर एक का शहर घोषित हो गया है । प्रदूषण के अतिक्रमण से कानपुर, शहर बनारस में गंगा नदी पर और तमिलनाडु में करूर-रानीपेट आदि की समस्या भी गंभीर हो गई है। सर, अभी प्रकाश जावडेकर जी यहां मौजूद थे, जो अब चले गए हैं, पर ये उनका महकमा है, उन्होंने इस ओर ध्यान देना चाहिए वे महाराष्ट्र से ही आते हैं मैं उनका ध्यान यह जो बातें मैंने कही है, किसानों की कृषि भूमि की, भूजल की, पशु-पक्षियों पर इसका असर पड़ रहा है, साथ-साथ जहरीले रसायनों के पानी इसमें मिल जाने से वहां पर काफी लोगों की मौतें भी हुई हैं ...(**समय की घंटी**)... इसकी ओर से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और विनती करता हूं ...(**समय की घंटी**)... की समय पे सरकार जाग जाए और अनर्थ टाले ।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र) : सर, मैं अपने आपको इसके साथ एसोसिएट करता हूं ।

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI (Rajasthan): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ (मध्य प्रदेश)ः महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वंय को सम्बद्ध करती हूं।

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश)ः सर, मैं भी इस विषय के साथ एसोसिएट करती हूं।

श्री के.सी. त्यागी (बिहार)ः महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वंय को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती कनक लता सिंह (उत्तर प्रदेश)ः सर, मैं भी इनके साथ एसोसिएट करती हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Special Mentions to be laid on the Table. Shri Mansukh L. Mandaviya, not here.

SPECIAL MENTIONS

Need to amend the norms of 'C' class cities under JNNURM

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): The Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) is a massive city modernization scheme under the Ministry of Urban Development. JNNURM is a huge mission which primarily meant for development in urban conglomerates of Indian cities. JNNURM is creating economically productive, efficient, equitable and prospective cities by upgrading the economic infrastructure particularly in urban sectors to strengthen Municipal governance in accordance with the 74th Constitutional Amendment Act, 1992. To my understanding, as on date, a total number of 67 cities are eligible for this scheme provided they have elected members in administration. In Tamil Nadu, all of our local bodies have elected members in administration. The cities which have the minimum population of 5 lakhs only are eligible to be benefited under this mission. However, Tirunelveli as well as the other growing cities falling short of this norm will deem to be ineligible to avail this advantage. In this context, with anxiety to tread the footsteps of our hon. Chief Minister of Tamil Nadu in redeeming the people from the thorns of life, I put all my strength and wishes together to appeal to the Government to consider the plight of the poor masses who may be deprived of the much needed basic need for survival to work out a way-out for grappling the eluding fortune by revising and amending the norms of eligibility for "C" grade cities as a population of 4 lakhs or less than that. In such a case, good number of growing cities would be able to enjoy this benefit.